PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

GOPAL NAGAR

AT VILLAGE RAMSINGHPURA / RAMPURA TEHSIL SANGANER JAIPUR

2177/2 Dt 11/7/18

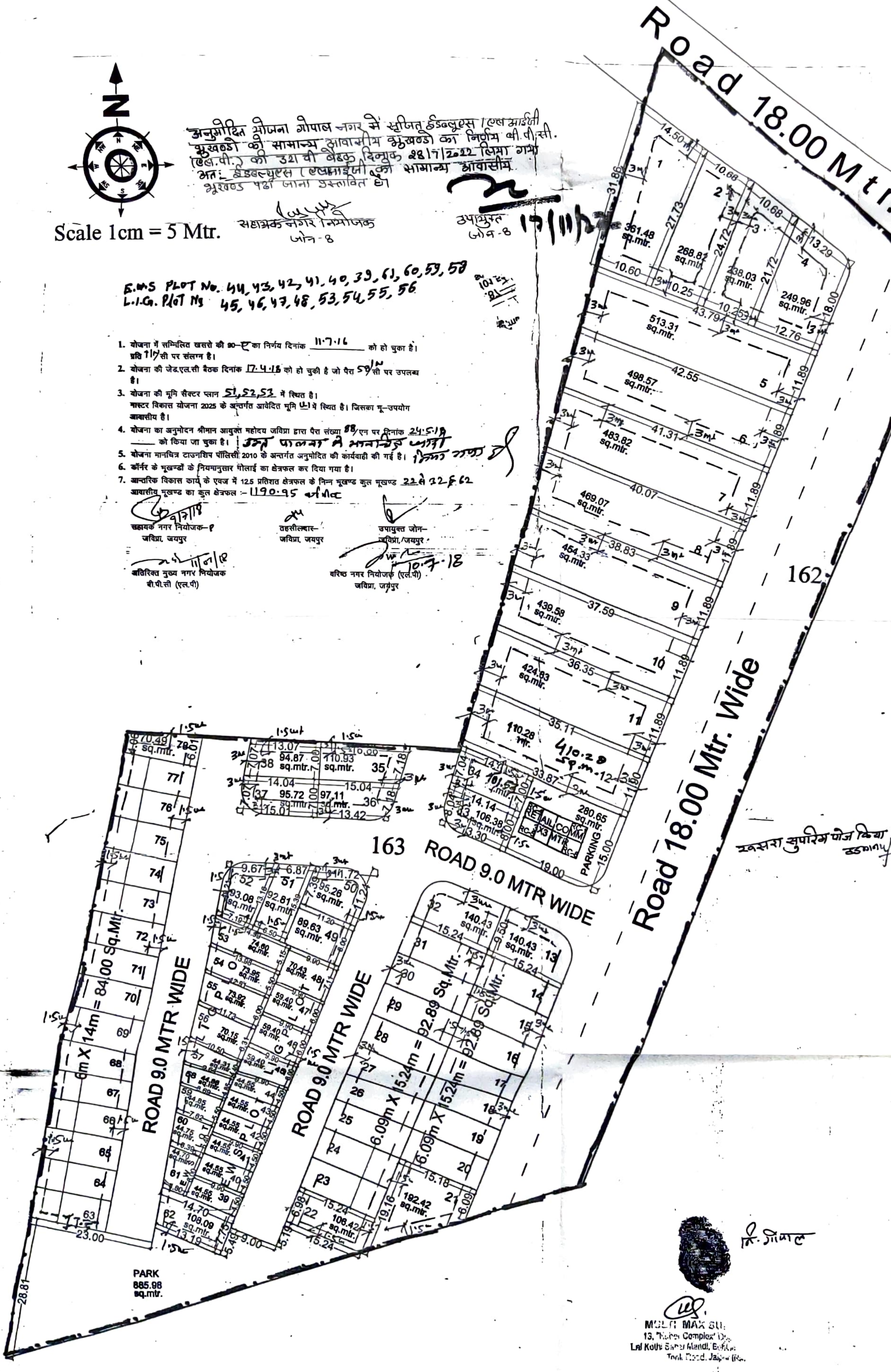

अनुमोदित योजना गोपाल नगर में सृजित ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों को सामान्य आवासीय भूखण्डों का निर्णय बी.पी.सी. (एल.पी.) की 173वी बैठक दिनांक 28/7/2022 लिया गया। अतः ई.डब्लू.एस. (एल.आई.जी.) को सामान्य आवासीय भूखण्ड पढ़ा जाना प्रस्तावित है।

सहायक नगर नियोजक जोन-8 — उपायुक्त जोन-8

E.W.S PLOT No. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 61, 60, 59, 58
L.I.G. PLOT No. 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56

1. योजना में सम्मिलित खसरो की 90-ए का निर्णय दिनांक 11.7.16 को हो चुका है। प्रति 7/17/सी पर संलग्न है।
2. योजना की जेड.एल.सी बैठक दिनांक 17.4.18 को हो चुकी है जो पैरा 58/N/सी पर उपलब्ध है।
3. योजना की भूमि सैक्टर प्लान 51, 52, 53 में स्थित है। मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवेदित भूमि U-1 में स्थित है। जिसका भू-उपयोग आवासीय है।
4. योजना का अनुमोदन श्रीमान आयुक्त महोदय जविप्रा द्वारा पैरा संख्या 88/एन पर दिनांक 24.5.18 को किया जा चुका है। उक्त पत्रावली से मानचित्र जारी किया गया है।
5. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत अनुमोदित की कार्यवाही की गई है।
6. कॉर्नर के भूखण्डों के नियमानुसार गोलाई का क्षेत्रफल कर दिया गया है।
7. आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड कुल भूखण्ड 22 से 32 व 62 आवासीय भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल :- 1190.95 वर्गमीटर

सहायक नगर नियोजक-8 जविप्रा, जयपुर	तहसीलदार- जविप्रा, जयपुर	उपायुक्त जोन- जविप्रा,/जयपुर
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी (एल.पी)		वरिष्ठ नगर नियोजक (एल.पी) जविप्रा, जयपुर

खसरा सुपरिम्पोज किया

KEY PLAN

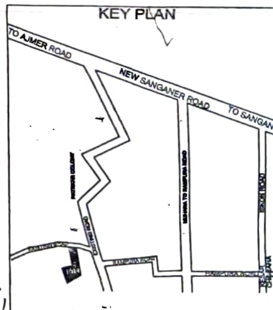

खसरा मैप

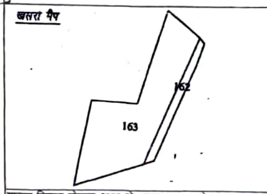

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

आवासीय व्यावसायिक

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
3. खाली भूखण्ड -

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.Mtr.)	प्रतिशत
1	PLOT AREA	9292.58	52.50%
2	EWS	490.29	2.77%
3	LIG	541.25	3.05%
4	RETAIL COMM.	280.65	1.59%
5	PARK	885.98	5.00%
6	ROAD	6209.25	35.09%
TOTAL SCEME AREA		17700.00	100.00%

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा ९० ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार — नाम उपायुक्त जोन :-

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :- GOPAL NAGAR
VILLAGE :- RAMSINGHPURA / RAMPURA
TEH. :- SANGANER, JAIPUR.

ZONE NO. 8 — SECTOR NO.

SCALE 1CM=5MTR — DRG. NO.

A.T.P. ZONE — D.T.P. — S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

MULTI MAX SU...
13, ... Complex ...
Lal Kothi ... Mandi ...
Tonk Road, Jaipur

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

प्ररूप–11
{नियम 7 (1) देखिए}
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–08

मामला सं. 4/2016 / 1630

1. श्री गोपाल पुत्र भूरा माली,
पताः– ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत्।

आदेश

11/7/16 दिनांक

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन एवं राजस्थान अभिधृत अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो क अनुसार निम्नलिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैः–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र	भूमि वर्ग
सांगानेर जिला जयपुर	रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा	162	रकबा 0.17 है0	गै0मु0 रास्ता
		163	रकबा 1.60 है0	चाही प्रथम
		कुल किता 02 कुल रकबा 1.77 है0		

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैनें संबधित जोन तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। सार्वजनिक सूचना हेतु दो समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं रास्ट्रदूत में प्रकाशन करवाई गई जो दैनिक भास्कर में दिनांक 07.05.2016 एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 09.05.2016 के अंक में प्रकाशित हुई। प्रकाशन के उपरान्त बंशी पुत्र गोपाल ने भूमि के सम्बन्ध में अपना हित बताते हुए आपत्ति दर्ज की जो संलग्न पत्रावली की गई। तदउपरान्त दिनांक 24.05.2016 एवं 10.06.2016 को हितधारी बंशी पुत्र गोपाल को नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने पर दिनांक 15.06.2016 को बंशी पुत्र गोपाल कार्यालय में उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र मय 100/– के ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं स्वयं का पहचान पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस भूमि के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में की गई आपत्ति को विड्रा करता हूँ तथा इस भूमि के सम्बन्ध में अब मेरा कोई हित नही रह जाता है। 90ए की कार्यवाही किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नही है। उपरोक्त तथ्यो को मध्य नजर रखते हुए प्रस्तुत की गई आपत्ति खारिज की जाती है। सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की

धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जाता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 162 रकबा 0.17 है0 व खसरा नम्बर 163 रकबा 1.60 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.77 है0 ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जाता है, और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित, प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर– कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक 11/7/16 को पारित किया गया।

Sd

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त, जोन–8,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सं. 1630 दिनांक 11/7/16

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी--

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि का स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. ✓ श्री गोपाल पुत्र भूरा माली, पताः– ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–8 / 2022 / डी– 4933 दिनांकः–2/12/22

श्री गोपाल पुत्र श्री भूरा,
निवासीः– ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर,
जयपुर।

विषयः–निजी खातेदारी की आवासीय योजना गोपाल नगर का मानचित्र अनुमोदन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 162 व 163 पर स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना गोपाल नगर में सृजित ईब्ल्यूएस / एलआईजी भूखण्डों को सामान्य आवासीय भूखण्डों में अनुमोदन किये जाने का निर्णय बीपीसी (एलपी) की 321वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 में लिया गया है। उक्त निर्णय की पालना में योजना गोपाल नगर का मूल मानचित्र रिकॉर्ड शाखा के डीआरजी नम्बर 2177 / 2 मे दर्ज किया गया है।

अतः निजी खातेदारी की आवासीय योजना गोपाल नगर के अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर